Form 2 (for projects other than linear projects) Government of Jharkhand Office of the Deputy Commissioner Palamau (Jharkhand)

No. .. 56....

Dated: 15/01/2018

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of environment and Forests (MOEF), government of India's letter No. 11-9/98/-FC (Pt.) dated 3rd August 2009 where in the MOEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of right under scheduled tribes and other traditional forest dwellers (Recognition of forest right) Act.,2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in favour of Palamu Tiger Project in Jurisdiction of Village Polpol kala, Block- Sadar Medininagar, District- Palamu details is below.

	3 13 0010	Circle	Village	Thana	Khata	Plot No	Area
S.N.	Name of	Circle	village				
1	Institution	Office		Number	Number		100.01
	palamu Tiger	Sadar	Polpol			1295	180.31
1 . 1		1	•		_	1296	70.69
	Project	Medininagar	Kala			1345	317.10
1 1				232,		1343	317.10
1 1							
1 1							
							568.10
Total							300.10

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 568.10 Acre of forest land proposed to be diversion. A copy of records of all consultation and Meeting of the Forest RIGHT Committee (s). Gram Sabha, Sub-Division Level Committee and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implication in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram sabha of Forest dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out and that they have been given their consent to the proposed and diversion and the compensation ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Pokhraha Khurd village is enclosed.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was quorum of minimum 50% of the member of Gram sabha present.
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section, 3(2) of the FRA have been completed and the Gram sabhas have given their consent to it.
- (f) The rights of Primitive Tribal Group and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl:As Above

Deputy Commissioner

-Cum-

Chairman, District Level Forest Right Committee FRA 2006

Mukesh Kumu:

Deputy Director
Palamau Tiger Project
South Division, Medininag

र्थालय –उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, पलामू (कल्याण शाखा)

दिनांक 11.01.2018 को उपायुक्त महोदय, पलामू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक की कार्यवाही:-

उपस्थिति:- पंजी में दर्ज।

दिनांक 30.11.2017 को जिला स्तरीय वन अधिकार समिति में उप निदेशक पलामू व्याध परियोजना दक्षिणी प्रमण्डल मेदिनीनगर के पत्रांक 1793 दिनांक 16.11.2017 एवं पत्रांक 1806 दिनांक 18.11.2017 के द्वारा ग्राम पोलपोल में निम्न चिन्हित भूमि पर अनापति प्रमान पत्र के लिए सम्पन्न बैठक में वन भूमि के अपयोजन के संबंध में वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर के पत्रांक 5823 दिनांक 09. 11.2017 के द्वारा Compensation and ameliorative measures के संबंध में ग्राम समा से सहमित प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। लिए गये निर्णय के आलोक में अंचल अधिकारी, सदर मेदिनीनगर के पत्रांक 12 दिनांक 10.01.2018 एवं अध्यक्ष, अनुमण्डल स्तरीय वनाधिकार समिति–सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मेदिनीनगर के पत्रांक 4089 दिनांक 10.01.2018 द्वारा ग्राम पोलपोल कला के चिन्हित वन भूमि में पलामू व्याध्र परियोजना के कोर एरिया अवस्थीत पुनर्वास हेतु अनुशंसा प्राप्त हुआ है। भिम संबंधी विवरणी निम्नवत हैं।

क्रं0	ग्राम	प्लॉट	रकबा
1		1295	180.31
	पोलपोल	1296	70.69
	कला	1345	317.10
		कुल रकबा	568.10

अनुमण्डल स्तरीय वन अधिकार समिति एवं ग्राम सभा पोलपोल के द्वारा वन भूनि के अपयोजन के संबंध में Compensation and ameliorative measures का प्रस्ताव "वन सनिति द्वारा प्रतिबंधित वन / वनों के किसी अंश के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन अपयोजन 😇 उपरांत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त होने वाली शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि का पंचमांश (20 प्रतिज्ञत) तथा वन पदार्थों का प्राप्त मूल्य का (9) दज्ञमांश (90 प्रतिशत) वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा अधिकार विकर्ष के माध्यम से वन समिति को भूगतान किया जायेगा। यह भूगतान की राशि तीन समांश अंशों में ग्राम विकास समिति एवं कार्यकारीनिधि संचित होगी" के संबंध में सहमति प्रदान की गयी।

ग्राम सभा एवं अनुमण्डल स्तरीय समिति के अनुशंसा के आलोक में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति के द्वारा प्रस्तावीत भूमि पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत् पलामू व्याघ्र परियोजना के कोर एरिया में अवस्थित ग्रामों में पुनर्वास हेतु अनापित निर्गत करने का निर्णय लिया गया तथा निदेश दिया गया की अनापति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में निर्गत किया जाय।

जिला कल्याण पराधिकारी. (१-1-18 पलाम् ।

उपायुक्त-सह-अध्यह नदिनीनगर वन प्रमण्डल। जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,

पलाम्।

थ्री कापांक 45 दिनांक 1/10// 8

प्रिक्टिंड रिस्मा हैदेश र पलामू व्याच परियोजना को सूचनार्थ प्रेषित।

Deputy Director संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित।

Palamau Tiger Project South Division, Medinina.

उपायुक्त-संह-अध्यक्त, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति. पलाम्।

विनांक 10.01.2018 को अनुगंडल पदाधिकारी, सदर के अध्यक्षता में टाईगर प्रोजेक्ट के तहत कोर एरिया में अवस्थित ग्रामीणों के पुर्नवास हेतु सम्पन्न अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के बैठक की कार्यवाही :— उपस्थित :— पंजी में अंकित है।

आज दिनांक 10.01.2018 को अंचल अधिकारी, सदर, मेदिनीनगर के पत्रांक 12 दिनांक 10.01.2018 द्वारा प्राप्त ग्राम सभा पोलपोल कला की कार्यवाही के आलोक में ग्राम— पोलपोल के चिन्हित वन भूमि में पुर्नवास हेतु उपायुक्त, पलामू के ज्ञापांक 330 दिनांक 05.12.2017 के द्वारा Compensation and ameliorative measures ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के उपरांत अनापित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में निम्न वन भूमि पर पुर्नवास हेतु ग्राम सभा की सहमति करने हुई।

			*MAN 0
क्रमांक	ग्राम	प्लौट	रकड
1	पोलपोल कला	1295	180,51
		1296	7G.ES
		1345	317.10
	कुल रव	533 16	
		THE PARTY OF THE P	the reservoir of the state of the second

उपरोक्त वन भूमि पर पुर्नवास हेतु ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के आलोक में किन निर्णय किए गए :-

वन समिति द्वारा प्रतिबंधित वन/वनों के किसी अंश के वन संरक्षण अधिनिक्त कि उभीन अपयोजन के उपरांत उपयोगकर्ता अभिकरण से प्राप्त होने वाली शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि का पंचमाश (20 प्रतिक्व कि विद्या का प्राप्त मूल्य का (9) दशमांश (90 प्रतिशत) वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अधिकोष विकर्ष के माध्यम से वन सनिद्धि के किया जाएगा। यह भुगतान की राशि तीन समांश अंशों में ग्राम विकास समिति एवं कार्यकारी निधि से संचित होगी, के संबंध के किया की गयी।

Mukesh Kumu I.F.S.

Deputy Director
Palamau Tiger Project
South Division, Medininag

N





्याण दिलाक, ४ १ तव १ १०११ क्या भाग प्रमामन पोलानोल कला के ज्या कामक हा ना किसासक के नामण से जाला में बहुता देश होगा क्रांशिकारे (क्रिलाम स्ताद्वा) के पकार क्रिक रिमान ३५/६/१३, तन महिंग के न्यानापति प्राप्ता राजा निये कर्ने छत् करिलेमार्भि गाम नामिता है भी के जाहर में जान लागा को लस्य प्रताह अगाम प्रहाद साह जापिमीनागए एक लोर कार्ड स्मार कार्यन के इलाएं भेर किला है। ज्ञानिक कर्मा कर एवं जाया हिल्ला दा ठोग्रं निसान वंगीप J. WEXILLE いいないないない SANGASTIT AT ... (1-0,993) Eye क्रियामस्दर्भे । इति Mukesh Kumi Deputy Director Palamau Tiger Project South Pivision Medining Doputy Director. Palamau Tigor Prolect. (brank 多数彩

4 (27 27 /2/5. 1+ 27 007 Mar 13 出南海 १८ = राज्येश कर् - १ दे होते । १२१ १ 319到列河下江江北地 21 उत्ती रहें जा 9.4 S1\$ 110 K . کی. بره. 12 × 1 2 12/1 ナゼ 7-1 (15777776G Maman Tiger Profect Valle low Wedining gad 4-11012117-16 J-C. Mycet Disor. Sinch Kings Mukesh Kun महान ने भारी. 453 Tulpe Dindy Wis Control Deputy Director Palamau Tiger Pro South Division, Medical

20 क्रिंग ने निक्र क्रिमाट 21 Panmis & 14. 26 गाउनिष्पुपास् 27. 28. प्रवास्त्र प्र mi will. 31. wanterno ! Mul-31/8/20 Mukesh Kumai Deputy Director 45-27 Palamau Tiger Project
South Division, Medining Balawan Lider brolect

के लिनका में विट्यार 2512 उगिरु 1285 180-31 70.69 1296 1345 317-10 568-1000 30 001 1934 well बिला प्रमलयह मुल्टि 6421 उट्टानिय -क की की Far En भेष मूरीरे 19 TEXO वन सिकिति द्वारा वन प्रवृद्धि (JE212 06-2 न अंभ 347 अव्यक्तिमात्र,1980 के असीन 31441005 अभिम् वर्तमात ग्रम (२० अमिमन) 7 (अ) दमम्म (१०५१म्य) पटाविषयारी) इन्दिरोष 2121 नग सकिरी 8721512 2/8/21 Mukesh Kuma Menust Director Palamau Tiger Prolection Deputy Director Palamau Tiger Project South Division, Medining

PT-CUTES पंचापत पेलपील रला ज्ञापन ने जाप es mara कारी दामा की गरिवाई त्याप्रामी जाम वेहामित क्रियोग नामा ٠; Palamau Tiger Projects and Tiger Medininages

I.F.S


Deputy Director

Palamau Tiger Project


South Division Medining

Z 1385 2991 - हारा विराधा ग्राम 0000 952 <100A) 9245A Mukesh Kuma I.F.S Deputy Director Palamau Tiger Projes Dentinger Progining Division Medinin

of Haus 77101-20091 सप्रमेषिकार पोलपोल-. 01. 317.10 32. 1995 250.4 03 210.0 ۲ĵ 88-3 () . (1 Ġ 1385 4 (1 13.5 1, 917,0 9(11) 10014 (doe (P) (H (D) Mukesh Kumik ·-- 118. 001 (5) Deputy Director Palamau Tiger Projec outh Division, Medinin P. Palamati Tiger COUN DIVISION



द्वा रीहेवी वाड्निट येनीरका देव C1920110 17/59 क्रमलीया पुकापरी M891191 70 ASLISH Kyngs 4 13 32 818 alish Rumor hindly Madan Kumon Singh MoLAN Singh Haneshwan Singh **Deputy Director** to TOHT M Palamau Tiger Project outh Division Medini



07 02 07 14 105 106 Nindan Singo 107 0.9 Dhirondog K. Singh 109 10 11.1 2720 Deputy Director. Palamau Tiger Project. Mukesh Kuma Deputy Director Palamau Tiger Project outh Division, Medining

11 (1417) 127 L balawan Lidor Wedintoad Akislow Wegimusgar Mukesh Kuma Deputy Director
Palamau Tiger Project South Division, Medininag